International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 3; May 2018; Page No. 56-58

कृषि विपणन का समीक्षात्मक अध्ययन (रीवा जिले के संदर्भ में)

शिल्पा गुप्ता
अतिथि विद्वान वाणिज्य, वाणिज्य विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
कोई भी देश जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो तथा कृषि ही उस देश की जनसंख्या के अधिकांश भाग के भरण–पोषण का एक मात्र आधार हो उस देश की सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि इसकी उन्नति पर विशेष ध्यान दे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने कृषि विकास के महत्व को स्वीकारते हुये योजनाओं में इसको मुख्य स्थान दिया। फलस्वरूप हरित क्रान्ति का सृजन और चलन हुआ, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि व उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को समन्नत किया। कृषि के उन्नत के साथ कृषि विपणन व्यवस्था का उन्नत होना आवश्यक है, क्योंकि यह अनुभव किया जाने लगा है कि कृषि उत्पादों के विपणन का उतना ही महत्व है जितना स्वतः उत्पादन का वस्तुतः विपणन की क्रिया का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि इसके द्वारा उपभोग और उत्पादन में सन्तुलन ही नही वरन् अधिक विकास का स्वरूप भी निर्धारित होता है।

मूल शब्द : कृषि, विपणन, मण्डी, रीवा जिला, समीक्षात्मक अध्ययन।

प्रस्तावना
कृषि उपज के विपणन से अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं से है जिसमें कृषि से उत्पन्न खाद्य पदार्थो और कृषि संबंधी कच्चे माल को खेतो तथा बागो से उठाकर अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच सम्पन्न की जाती है।

विपणन शब्द का तात्पर्य उन सभी विपणन कार्यो एवं सेवाओं के करने से है, जिनके द्वारा वस्तुएं उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचती है,[5] इसके अन्तर्गत विपणन की सभी सहयोगी प्रक्रियाएँ एकत्रीकरण, पैकेजिंग, परिवहन, संग्रहण, श्रेणी चयन एवं मानकीकरण, वित्त, जोखिम प्रबंध, विलापन आदि सम्मिलित होती है। उत्पादन को उपभोग से जोड़ने वाली श्रृंखला की समस्त कड़ियों विपणन में सम्मिलित होती है।

कृषि विपणन कुल विपणन का एक छोटा प्रतिरूप है, इसमें वे सारी क्रियाएँ तथा नीतियों का अध्ययन किया जाता है जो कि किसानो तक पहुंचती है तथा किसानों द्वारा उत्पादित उत्पादों को बाजार तक ले जाती है। एक अनुकूलनतम विपणन हमेशा लागत को कम करता है तथा लाभ को अधिकतम करता है। इस प्रक्रिया में यह भी याद रखा जाता है कि किसानो को उचित प्रतिफल मिले साथ ही उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएँ मिले और मध्यम वर्ग आय का कुछ अंश भी बच जाएँ।

प्रो. थामसन के अनुसार – "कृषि विपणन के अध्ययन में वे सभी कार्य एवं कच्चा माल एवं संस्थाएँ सम्मिलित होती है जिनके द्वारा कृषकों के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल एवं उनसे निर्मित माल का फार्म से उपभोक्ताओं तक संचालन होता है।

प्रो. आबोट के अनुसार – "कृषि विपणन से तात्पर्य उन सभी कार्यो से होता है जिनके द्वारा खाद्य वस्तुएँ एवं कच्चा माल फार्म से उपभोक्ता तक पहुंचता है।"

रीवा जिले में भी कृषि विकास सम्बन्धी इन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ यहाँ की जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास तो किया गया। कृषि के उन्नत के साथ कृषि विपणन व्यवस्था का उन्नति होना आवश्यक है क्योंकि यह अनुभव किया जाने लगा है कि कृषि उत्पादों के विपणन का उतना ही महत्व है जितना स्वतः उत्पादन का वस्तुतः विपणन की क्रिया का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योकि इसके द्वारा उपभोग और उत्पादन में सन्तुलन ही नहीं वरन् अधिक विकास का स्वरूप भी निर्धारित होता है।

रीवा जिला कृषि प्रधान जिला है। 72 प्रतिशत आबादी का जीविकोपार्जन का साधन कृषि या उससे जुड़े हुए कार्य है। किसानों का शिक्षा स्तर बहुत उच्च न होने के कारण कृषि उपज के गाँव में ही साहूकारों को विक्रय कर देते है। कुछ सम्पन्न किसान एवं शिक्षित किसान अपने कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए शहर में कृषि उपज मंडी के माध्यम माल का विक्रय करते है।

कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य :
कृषि उत्पादन के विपणन में उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति रही है। कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रावधान वर्ष 1973 में मण्डी अधिनियम में किया गया है। वर्ष 1973 से सतत् रूप से प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों के विकास के लिए मण्डी बोर्ड निम्न उद्देश्यों के लिए सतत् प्रयत्नशील है–

- कृषि उत्पादन के विक्रेता को प्रतिस्पधात्मक मूल्य दिलाना सही तौर के लिए व्यवस्थायें करना एवं उत्पादक को उसी दिन मूल्य का भुगतान कराना।
- मण्डियों की स्थापना के लिये सर्वेक्षण, साईट प्लान्स एवं मास्टर प्लान्स एवं मास्टर प्लान का सम्पादन।
- वित्तीय रूप से कमजोर मण्डी समीतियों को ऋण अथवा अनुदान देना।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि आदानों को मण्डी प्रांगण में उपलब्ध कराना।

शोध कार्य के उद्देश्य

- कृषि विकास की संभावना का अध्ययन करना।
- रीवा जिला में कृषि विपणन के स्वरूप का अध्ययन करना।

साहित्य की समीक्षा

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने कृषि विपणन पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – करुणा राय (1962)[1], जैन, पी.सी. (2001)[2],दामाहिया, कृष्ण कुमार (2001), www.mpmandiboard.com[4], www.wikipedia.in.agriculture[5],

शोध प्रविधि

रीवा जिले में स्थित मण्डियों में से निदर्शन विधि का अनुप्रयोग करते हुए जिले से सभी मण्डियों का अध्ययन कर कुछ चिन्हित मण्डियों को प्रतीक अध्ययन के लिए चुना गया है। मण्डियों के चयन में उनकी स्थिति कार्य क्षेत्र आदि का ध्यान में रखते हुए जिले में सभी तहसीलो में से एक–एक विनियमित मण्डी तथा जिले में एक प्राथमिक स्तर में गाँव में स्थित विनियमित मण्डी का चयन कर अध्ययन किया गया।

संमक संकलन

मण्डी सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नावली बनाकर मण्डी समिति के पदाधिकारियों एवं मण्डी सचिवों से सम्पर्क अभियान द्वारा विषय से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित कर उपक्रम बनाया गया है। कृषि सम्बन्धी उत्तर प्राप्त करने के लिए निदर्शन विधि का प्रयोग करने के पश्चात् सांख्कीय विधि का प्रयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में एकत्रित किये गये प्राथमिक द्वितीयक एवं गौर आंकड़े हेतु किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र

शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन का क्षेत्र रीवा जिला को चयनित किया गया है।

कृषि उपज मण्डी का वर्गीकरण

तालिका 1: रीवा जिला के मण्डी का विवरण

क्र.	तहसील	मण्डी	अनाज
1.	हुजूर	कृषि उपज मण्डी समिति, रीवा	गेहूँ, सोयाबीन, मसूर, दाल, चना, धान, मटर
2.	सिरमौर	कृषि उपज मण्डी समिति, बैकुण्ठपुर जिला रीवा	गेहूँ, मसूर, दाल, सोयाबीन, चना
3.	हनुमना	कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमना जिला रीवा	गेहूँ, धान, मसूर, दाल
4.	त्योंथर	कृषि उपज मण्डी समिति, चाकघाट जिला रीवा	गेहूँ, धान, मटर, अन्य

तालिका 2: कृषि उपज मंडी का आय विवरण (2017–18)

क्र.	तहसील	मण्डी	आय (करोड़ में)	मंडी शुल्क का प्रतिशत कुल आय में से
1.	हुजूर	कृषि उपज मण्डी समिति, रीवा	1.77	45.50
2.	सिरमौर	कृषि उपज मण्डी समिति, बैकुण्ठपुर जिला रीवा	0.83	21.33
3.	हनुमना	कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमना जिला रीवा	0.56	14.39
4.	त्योंथर	कृषि उपज मण्डी समिति, चाकघाट जिला रीवा	0.73	18.76
योग			3.89	

स्त्रोत – प्रत्यक्ष साक्षात्कार

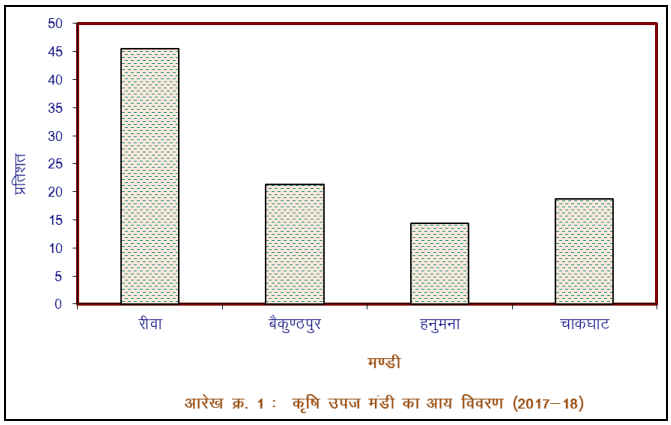

आरेख क्र. 1 : कृषि उपज मंडी का आय विवरण (2017–18)

विश्लेषण

रीवा जिला में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सन् 2017–18 में कृषि उपज मंडी समिति रीवा द्वारा 1.77 करोड़, कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर, रीवा द्वारा 0.83 करोड़, कृषि उपज मंडी समिति हनुमना, रीवा द्वारा 0.56 करोड़ और कृषि उपज मंडी समिति त्योंथर, रीवा द्वारा 0.73 करोड़ रु. आय प्राप्त की गई। इसी प्रकार मंडी शुल्क क्रमशः 45.50 प्रतिशत, 21.33 प्रतिशत, 14.39 प्रतिशत और 18.76 प्रतिशत रहा। अतः सबसे ज्यादा आय रीवा मंडी द्वारा प्राप्त की गई।

रीवा जिला में कृषि उपज मंडी का वर्गीकरण वार्षिक आय के आधार पर इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

1. A - एक करोड़ से अधिक आय वाली मंडी को। सुपर श्रेणी में रखा जाता है।
2. B - 75 लाख से एक करोड़ तक आय वाली मंडी को ठ श्रेणी में रखा जाता है।
3. C - 50 से 75 लाख तक आय वाली मंडी को ब श्रेणी में रखा जाता है।
4. D - 50 लाख से कम आय वाली मंडी को क श्रेणी में रखा जाता है।

तालिका 3: जिला रीवा में कृषि उपज मंडी का वर्गीकरण

क्र.	मंडियों की श्रेणी	मण्डी
1.	।	कृषि उपज मण्डी समिति, रीवा
2.	ठ	कृषि उपज मण्डी समिति, बैकुण्ठपुर जिला रीवा
3.	ड	कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमना और चाकघाट जिला रीवा
4.	क	निरंक

कृषि समस्याएँ

रीवा जिले के अधिकांश छोटे किसान गरीबी के दुष्चक्र में जकड़े हुए है। गरीबी तथा ऋणग्रस्तता के कारण किसान अपनी उपज कम कीमतों पर बिचौलियों को बेचने के लिए बाध्य है।

कृषिगत आगतों की बढ़ती कीमते गिरते भू–जल स्तर एवं भूमि की घटती उर्वरता के कारण कृषि घाटेका सौदा बन गई है। इसी कारण खेती से किसानो का मोहभंग हो रहा है। खेती के प्रति किसानो की उदासीनता बढ़ती जा रही है, जो कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है।

पैश्वीकरण व उदारीकरण की नीतियों के तहत भारतीय बाजार के द्वारा विदेशी कृषि उत्पादों के लिए खोल दिए पर देश की कृषि व्यवस्था पर संकट के बादल छा रहे है। उच्च लागत व उच्च कीमतों के कारण हमारे कृषि उत्पाद विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना नही कर पा रहे है। इसके अतिरिक्त विकसित देशों के द्वारा अपने किसानों व कृषि उत्पादों से सम्बन्धित विभिन्न कम्पनियों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे बाजारो में भी विदेशी कृषि उत्पादों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जिन कारणों से रीवा जिला के किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सुझाव

गरीबी तथा ऋणदाता के कारण किसान अपनी उपज क्रय कीमतों पर बिचौलियों को बेचने के लिए बाध्य है। इन बिचौलियो के जाल से किसानों को मुक्त करवाने तथा विपणन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सरकार नियन्त्रित मण्डियों के विस्तार कृषि उपज के श्रेणीकरण व प्रभावीकरण माल गोदाम की व्यवस्था बाजार एवं मूल्य सम्बन्धित सूचनाओं का प्रसारण व सहकारी विपणन व्यवस्था का प्रबन्धन जैसे कदम उठाए जाएँ।

आज का कृषि विपणन विकट परिस्थिति में खड़ा है। किसानों को उनके आवश्यकतानुसार सुविधाएँ दी जानी चाहिए। एक पूर्ण विपणन व्यवस्था उपभोक्ता और उत्पादकता दोनों का कल्याण बढ़ा सकती है। इसके सार्वजनिक निवेश करने की आवश्यकता है तथा परम्परागत विपणन व्यवस्था को उन्नत करना चाहिए।

पंचायतों को स्थानीय बैकों, साहूकारों तथा ऋणदाता किसानों के बीच मध्यस्थता करके किसानों के आत्महत्या जैसे मामलों को सहजतापूर्वक निपटा सकती है तथा आत्महत्य करने वाले किसानों में आत्मविश्वास का संचार कर सकती है जिससे वे आत्महत्य कर करे। कृषकों को भी चाहिए कि वे अपनी फसलों में उचित मिश्रण करे ताकि अचानक मौसम में परिवर्तन होने पर कम से कम कुछ फसलें तो बच जायें।

निष्कर्ष

कृषि विपणन तकनीकी में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, मध्यस्थों की समाप्ति, कृषि विनिमय हेतु वित्तीय सुविधाएँ, कृषि उत्पाद मूल्य में वृद्धि तथा कृषि विपणन का व्यावसायिक कार्य, व्यावसायिक अनुभव, पूंजी निवेश छोटे कृषि व्यापारियों को संरक्षण, कृषि के लिए वित्तीय सुविधाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यातायात का विकास, भण्डारण प्रक्रिया में सुधार, व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन, मूल्य में स्थिरता जैसे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि विपणन क्षेत्र में सहकारी समीतियों के विकास हेतु कृषि विपणन क्षेत्र में सहकारी समीतियों के विकास हेतु सरकारी एजेन्सी द्वारा कम मात्रा का पूर्व निर्धारण उत्पादक व व्यापारियों से कृषि आय में वृद्धि जैसे उपायों को अपनाने से कृषि विपणन तथा कृषि उपज में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

8. सन्दर्भ

1. राय, करुणा – "भारतीय कृषि उपज विपणन" मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1962.
2. जैन, पी.सी. – "भारत में कृषि विकास" हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2001.
3. दामाहिया, कृष्ण कुमार – "कृषि विकास की समस्याएँ" मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001.
4. www.mpmandiboard.gov.in
5. www.wikipedia.in>agricultural